कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

पत्र.क्र. / C&D Waste / 2023–24 / 17170 कोरबा, दिनांक 08/02/2024

–: रूचि की अभिव्यक्ति :–

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री के प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म / स्वसहायता समूह / एन.जी.ओ. रूपये **20,000 /** –एफडीआर / टीडीआर / बैंक ड्राफ्ट के साथ अभिव्यक्ति बंद लिफाफे में दिनांक **28 / 02 / 2024** को दोपहर 3:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। प्री–बीड की बैठक दिनांक **15 / 02 / 2024** दोपहर 3:00 बजे नगर पालिक निगम कोरबा ''साकेत भवन'' के कक्ष क्र. **301** में आयोजित है। विस्तृत जानकारी / शर्ते निगम कार्यालय कार्यालयीन दिवस एवं समय तथा वेबसाइट www.korbamunicipal.in पर देखे जा सकते है। उक्त कार्य के लिए शर्ते निम्नानुसार है :–

शर्ते :–

1. उक्त कार्य के लिए आमानत राशि रूपये **20,000 /** – का एफ.डी.आर / टी.डी.आर / बैक ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. व्यक्ति / फर्म / स्वसहायता समूह / एन.जी.ओ. द्वारा आधार कार्ड / जीएसटी पंजीयन / पेन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
3. नगर पालिक निगम कोरबा के कर्मशाला में पैन मिक्चर्स मशीन, पेवर ब्लाक मेकिंग मशीन, कलर मिक्चर्स मशीन, डिवाईडर स्टोन मॉण्ड तथा C&D Waste के क्रशिंग हेतु कांक्रीट क्रशर मशीन चालू अवस्था में स्थापित की गई है। उक्त प्लांट के संचालन, संधारण एवं C&D Waste से पेवर ब्लाक, गमला, डिवाईडर स्टोन इत्यादि का निर्माण कर विक्रय एवं आय अर्जित सहित पूर्ण कार्य हेतु व्यक्ति / फर्म / स्वसहायता समूह / एन.जी.ओ. से मासिक किराया के आधार (आफर दर) आमंत्रित किया जाता है। आफर में व्यक्ति / फर्म / स्वसहायता समूह / एन.जी.ओ. (03+02 वर्ष) अर्थात 03 वर्ष का कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में आपसी सहमति से कार्य अवधि 02 वर्ष बढ़ायी जावेगी ।
4. व्यक्ति / फर्म / स्वसहायता समूह / एन.जी.ओ. द्वारा एक बंद लिफाफे में उपरोक्त वर्णित दस्तावेज तथा मासिक किराया (आफर दर) निर्धारित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त ऑफर दर (बंद लिफाफा) स्वीकार नहीं होगा। जिसमें प्रथम एवं द्वितीय आफर दाता को छोड़कर शेष रूचिदाता की राशि वापसी योग्य होगी।
5. उक्त कार्य की अवधि केवल (03+02) वर्ष हेतु मान्य होगी।
6. उक्त प्लांट संचालन हेतु आफर दाता द्वारा बिजली बिल का भुगतान स्वयं को करना होगा।
7. उक्त यूनिट के संचालन के दौरान मशीनों की किसी भी प्रकार का क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में स्वयं के व्यय से पुनः निर्माण / मरम्मत कराना होगा तथा मशीनों की नियमित सफाई एवं दुरूस्त रखना होगा ।

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दूरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

8. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु रूचिकर्ता द्वारा प्रस्तुत मासिक किराया (उच्चतम आफर दर) का अनुमोदन/स्वीकृति करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के पास सुरक्षित होगा। प्रस्तुत उच्चतम आफर दरदाता को कार्यादेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर मासिक किराया उच्चतम आफर राशि निगम कोष में जमा कराकर वचनबद्ध निष्पादन करना होगा। निर्धारित समयावधि में मासिक किराया (आफर राशि) निगम कोष में जमा/वचनबद्ध प्रस्तुत नहीं करने पर जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। तथा द्वितीय ऑफर दाता को उक्त कार्य करने हेतु आमंत्रित की जावेगी।
9. अनुबंधित मासिक किराया राशि प्रत्येक माह के 07 दिवस के पूर्व अनिवार्य रूप से निगम कोष में जमा करना होगा। अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने की स्थिति में किसी भी समय कार्य स्वीकृति आदेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
10. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 एवं छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय (निर्माण एवं विध्वंस) अपशिष्ट प्रबंधन नीति ,2017 (असाधारण) राजपत्र दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के तहत निर्दिष्ट नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। तथा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
11. उक्त कार्य में नियोजित श्रमिको को श्रम अधिनियम के तहत समय पर पारिश्रमिक भुगतान एवं आवश्यक सुविधाए उपलब्ध कराना होगा तथा नियमों का पालन करना होगा ।
12. कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण/उपाय/श्रमिको का बीमा कराना होगा है। कार्य स्थल में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना की सम्पूर्ण जवाबदारी आफर दाता की होगी।
13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
14. विस्तृत नियम एवं शर्ते कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.korbamunicipal.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

D:\pagemaker/Bhavan Nirman/793

कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषय :– नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री के प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु रूचि की अभिव्यक्ति बाबत।

––00––

नगर पालिक निगम, कोरबा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री के प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु निर्धारित शर्तो के तहत् सहमत हूँ। निगम द्वारा निर्धारित शर्तो की जानकारी ली जाकर पढ़कर सोच–समझ कर रूचि की अभिव्यक्ति (मासिक किराया ऑफर) प्रपत्र प्रस्तुत है :–

क्र.	कार्य विवरण	अवधि	मासिक किराया प्रति माह (आफर दर)
1	नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत निर्माण एवं विध्वंस सामाग्री के प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन एवं संधारण कार्य हेतु मासिक किराया राशि निर्धारण बाबत।	3+2 वर्ष	अंको में रूपये ..../– प्रति माह शब्दो में रूपये .... प्रति माह

मेरे द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से निर्धारित अमानत राशि रू. ....(शब्दों में) .... एफडीआर/टीडीआर/बैंक ड्राफ्ट क्र...एवं दिनांक ....बैंक का नाम .... संलग्न जमा की गई है।

अतः मुझे उक्त कार्य की अनुमति प्रदान करें। नगर पालिक निगम, कोरबा की सभी नियम एवं शर्ते मुझे मान्य है।

रूचिदाता का सील व हस्ताक्षर

नाम – ....
पिता/पति का नाम – ....
स्थायी पता –..
....
मोबाईल नं.–...